

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 29.10.09

क्रमांक 2361/1003/आउशि/शाखा-2/09, कार्यालय के आदेश क्रमांक 2335/1003/आउशि/शाखा-2/09, दिनांक 26.10.09 में आंशिक संशोधन किया जाता है तदनुसार शैक्षणिक सत्र 2009-10 में शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों के रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के दिशा-निर्देश परिपत्र क्रमांक 1170/491/आउशि/शाखा-2/09, दिनांक 4.6.09 की कंडिका-14 (ब) (मानदेय) में अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों को प्रति दिवस अधिकतम रूपये 300/- के स्थान पर रूपये 360/- (रूपये तीन सौ साठ मात्र) या शासन द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।

2/ यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक सी.आर. 384/वि./183, दिनांक 25.7.09 के द्वारा किया गया।

Ashish
29.10.2009

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 2362/1003/आउशि/शाखा-2/09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29.10.09

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश। कृपया आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त जिला कोषालय/उप कोषालय को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति/समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. उप सचिव, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बिट्टन मार्केट, भोपाल।
12. समस्त अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ashish
29.10.2009

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश